

PROMOTION (प्रोमोशन)

302 | लोक प्रशासन

एल. डी. हाइट के अनुसार, "Promotion means an appointment from a given position to a more difficult type of work and a greater responsibility, accompanied by a change of title and usually an increase in pay."

विलोबी ने लिखा है, "Real promotion means rising to a higher post carrying a higher grade."

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि पदोन्नति केवल वेतनमान में वृद्धि (More increase in pay) नहीं है। यह सही है कि पद वृद्धि में वेतन वृद्धि होती ही है, परन्तु ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पद वृद्धि में कार्य वृद्धि तथा उत्तरदायित्व एवं अधिकार में वृद्धि हो।

कुछ लोग पदोन्नति (Promotion) को बढ़ोत्तरी (Advancement) मानते हैं, किन्तु ऐसा मानना भी गलत है। Advancement या बढ़ोत्तरी को हम Increment कह सकते हैं, Promotion नहीं। पदोन्नति में पद वृद्धि होती है, परन्तु Increment में केवल वेतन वृद्धि होती है। इसलिए हाइट के अनुसार, "Promotion is not advancement."

(II) स्वस्थ पदोन्नति प्रणाली के लाभ

(1) इसके द्वारा पदाधिकारियों में कार्य-कुशलता बनी रहती है।

(2) पदाधिकारियों को अपने गुणों तथा दूरदर्शिता दिखाने के लिए पूर्ण प्रोत्साहन मिलता है।

(3) यदि लोक प्रशासन में कर्मचारियों की पद वृद्धि (Promotion) न हो तो प्रशासन टप्प पड़ जाएगा, क्योंकि पदाधिकारियों का मनोबल (Morale) गिर जाएगा। यदि अवसरों की आशा न हो (Lack of opportunities) तो प्रशासन चल ही नहीं सकता।

(4) पद वृद्धि सन्तोषजनक एवं उचित होनी चाहिए, क्योंकि तभी अनुभवी कर्मचारी उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग के कार्यों से पूर्ण परिचित उस विभाग के कर्मचारी होते हैं। उनके अनुभवों का उचित लाभ ठोस पदोन्नति व्यवस्था (Sound promotion system) से ही मिल सकता है।

(5) सेवी वर्ग प्रशासन में अनुशासन का स्तर ऊँचा बनाये रखने में पदोन्नति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के बिना प्रशासन का चलना असम्भव है।

(6) लोक प्रशासन में, पदाधिकारियों में, सहयोग तथा सद्भावना का वातावरण उचित पदोन्नति व्यवस्था के द्वारा ही सम्भव है। यदि पदोन्नति व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि जॉन डी. मिलेट का विचार है, पदाधिकारियों के बीच 'Atmosphere of frustration' उत्पन्न हो जाता है।

(7) कुशल पदोन्नति व्यवस्था के द्वारा पदाधिकारियों को अपनी कुशलता तथा योग्यता बढ़ाने का मौका भी मिलता है।

(8) कुशल पदोन्नति व्यवस्था लोक प्रशासन में नैतिकता एवं निश्चयात्मकता को प्रोत्साहन देती है।

(9) सफल पदोन्नति व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कुशल कर्मचारियों को लोक प्रशासन में रोक रखती है। भारत में कभी-कभी अच्छे कर्मचारी सरकारी नौकरी छोड़कर पदोन्नति की आशा नहीं रहने के कारण निजी प्रशासन की नौकरियों में चले जाते हैं। इसका

तत्त्वज्ञान T. A. S. (Tata Administrative Service) है। इसमें T. A. S. के लोग भी रुद्र-
सुविधा और वेतन के ख्याल से चले जाते हैं। भारत में बड़ी संख्या में लॉगिटर एवं इंजीनियर
पश्चिमी-एशियाई देशों में या इंग्लैण्ड और अमेरिका में भी चले जाते हैं, जिसे Brain-drain कहते
हैं जो तृतीय विश्व (Third World) की विशेषता है।

यदि पदोन्नति की समुचित एवं कुशल व्यवस्था हो, तो Less-Developed Countries
(L. D. C.) से Brain-drain को रोका जा सकता है और लोक प्रशासन योग्यता बढ़ावा देना
जा सकता है।

(III) स्वर्थ पदोन्नति प्रणाली के सिद्धान्त

Principles of Sound Promotion System जैसा कि एल. डी. छाइट ने लिखा है,
“Opportunities are limited.” कोई भी लोक प्रशासक जो एक बार सरकारी नौकरी में प्रदेश
कर पाता है, उसमें सभी नहीं, परन्तु कुछ ही उच्च पद प्राप्त कर पाते हैं। तथा यह आवश्यक
नहीं कि ऐसी परिस्थिति में पदोन्नति का आधार ठोस सिद्धान्त नहीं होना चाहिए ?

Various Principles of Promotion—कुशल एवं ठोस पदोन्नति व्यवस्था के दो प्रमुख
सिद्धान्त हैं—(1) वरीयता का सिद्धान्त (Principle of Seniority), (2) योग्यता का सिद्धान्त
(Principle of Merit)।

लोक प्रशासन के क्षेत्र में पदोन्नति के इन दोनों सिद्धान्तों—वरीयता एवं योग्यता में संघर्ष
होता रहता है। कभी-कभी दोनों को मिला-जुलाकर एक तीसरा सिद्धान्त बनता है, जिसे Merit-
cum-Seniority का सिद्धान्त है।

प्रशासन में यदि पदोन्नति सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं, तो प्रशासन मजबूत होता है,
परन्तु यदि पदोन्नति मनमाने ढंग से या स्वेच्छाचारिता से होती है, तो प्रशासन कमजोर होता है
और कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। इस दृष्टि से पदोन्नति-विषयक सिद्धान्त का लोक प्रशासन
में बड़ा ही महत्व है। हम तीनों सिद्धान्तों की विवेचना अलग-अलग करेंगे—

(1) वरीयता का सिद्धान्त (Principle of Seniority)—यह पदोन्नति के लिए एक अच्छा
सिद्धान्त है, चूंकि इस आधार में कहने, सुनने, पैरवी करने या पक्षपात की कोई सम्भावना नहीं
होती है। सभी कर्मचारी यह जानते हैं कि जो पदोन्नति हुई है, वह पैरवी के आधार पर नहीं
बल्कि वरीयता के आधार पर हुई है। पदोन्नति कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारी का ज्येष्ठ होता है,
इससे कर्मचारी वर्ग में शुद्ध वातावरण उत्पन्न होता है।

इस सिद्धान्त के कुछ प्रमुख लाभ ये हैं—

(1) यह सिद्धान्त वस्तुपरक है अर्थात् यह तटस्थ एवं निष्पक्ष है, साथ ही राजनीति दबाव
से फरे है।

(2) फिनर के अनुसार, इस सिद्धान्त में “Promotion goes to senior and experienced
person” इससे प्रशासन में अनुभवी योग्यता का समावेश होता है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को पदोन्नति का अवसर समझ आने पर मिल ही जाता है।

(4) इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मचारियों में नैतिक बल उत्पन्न होता है, जिसे Morale
कहते हैं।

(5) वरीयता के सिद्धान्त में कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, उदासीनता एवं अनैतिकता कम हो जाती है।

(6) इस सिद्धान्त में नवागन्तुक लोक प्रशासन अनुचित ढंग से अनुभवी लोक प्रशासन को निराश नहीं कर सकता।

इन्हीं गुणों के कारण मेयर्स के शब्दों में, “Principle of seniority is foolproof system against favouritism and undue intervention.”

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वरीयता का सिद्धान्त सर्वथा दोपरहित सिद्धान्त है। एल. डी. हाइट के अनुसार, “किसी भी स्तर पर यदि वरीयता को पूर्व निश्चित करने वाला तह मान लिया जाए, तो यह बहुत खतरनाक मार्गदर्शक सिद्ध होगा।” फिफ्नर के अनुसार, “Principle of seniority leads to crank complex.”

इस सिद्धान्त की आलोचना निम्न बिन्दुओं पर होती है—

(i) इस सिद्धान्त में ऐसी कोई गारण्टी नहीं है कि पदोन्नति प्राप्त करने वाला व्यक्ति ज्येष्ठ है, इसलिए वह योग्य भी है अर्थात् “Seniority does not always mean ability.”

(ii) ऐसे कर्मचारी जो नये एवं नौजवान हैं और कर्तव्यों के प्रति दूरदर्शी, विवेकी उत्साही हैं, वे वरीयता के सिद्धान्त में घुटते रहेंगे। इसलिए फिफ्नर के अनुसार, “वरीयता के सिद्धान्त कर्मचारियों में महत्वाकांक्षा नष्ट करता है।”

(iii) कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह सिद्धान्त घातक है, चूंकि यह लक्षणीयता (Red Tapism) को प्रोत्साहन देता है।

(iv) वरीयता के आधार पर पदोन्नति ऐसे व्यक्तियों को मिलती है जो पुरानफन्थी या चिङ्गिझे रखगाव के होते हैं। लोक प्रशासन में ऐसे व्यक्ति ‘No Changers’ होते हैं। उनका संघर्ष ‘Pro-Changers’ से होता है।

(v) समाजवाद, धर्म-निरपेक्षतावाद, लोक कल्याण, लोकतन्त्र आदि नई विचारधाराओं के वरीयता का सिद्धान्त आपात पहुँचाता है।

अन्त में, हम यह कह सकते हैं कि यदि वरीयता का सिद्धान्त ठोस पदोन्नति में सहाय है, तो यह घातक भी है। फिफ्नर या हाइट के अनुसार वरीयता के साथ-साथ उत्तरदायित विवाह करने के लिए योग्यता भी होनी चाहिए।

(2) योग्यता का सिद्धान्त (Principle of Merit)—यह वरीयता के विपरीत है। इसका अर्थ होता है कि जो कर्मचारी योग्य है, दूरदर्शी है, साहस्री, निष्पक्ष, प्रगतिशील एवं कर्तव्यपराप्त है अर्थात् जिनमें योग्यता है, किन्तु ज्येष्ठता नहीं, वे भी पदोन्नति के लिए सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में इस सिद्धान्त के अनुसार पदोन्नति के लिए आवश्यक गुण योग्यता है, न कि वरीयता।

‘किन्तु प्रश्न यह है कि योग्यता का आधार क्या होगा? उसे कौन जांचेगा? उसे कौन निश्चित किया जाएगा? ये सारे प्रश्न इतने जटिल हैं और काफी कठीन हैं, तथोंकि योग्यता के नाम पर अधीनस्थ पदाधिकारी अपने यरिष्ठ पदाधिकारी के काने पर घटकर उसे Supersede कर आगे बढ़ा जाता है। इसरो लोक प्रशासन में कुशलता खल हो जाती है और गमोद्यम गिरता है तथा भ्रष्टाचार थड़ता है।

निसन्देह अमेरिका में योग्यता की खोज करने के लिए वरीयता कोई आधार नहीं है, किन्तु फिर भी योग्यता को जाँचने का जो सिद्धान्त है, जैसा वार्वर गा मिलेट लिखते हैं, सेवा-अंकन (Service-Rating) एवं पद वृद्धि सम्बन्धी परीक्षाएँ हैं।

भारत में योग्यता की जाँच के लिए चरित्र सम्बन्धी रिपोर्ट (CCR) जो विभागाध्यक्ष लिखता है, आधार है। यह आलोचना का विषय रहा है। जैसे विहार में, जो जातिगत कुण्ठाओं से ग्रसित राज्य है, बड़ा अफसर छोटे अफसर का CCR जाति के आधार पर न कि योग्यता के आधार पर लिखता है। यह पद्धति बहुत ही Subjective है और इसलिए दोपूर्ण है। दूसरा, व्यवहारतः योग्यता की जाँच करना सरल नहीं।

लोक प्रशासन के क्षेत्र में, योग्यता निर्धारण के साधारणतः तीन तरीके अपनाये जाते हैं—

(1) परीक्षा (Examination)—जो (a) खुली प्रतियोगिता परीक्षा, (b) सीमित प्रतियोगिता दर्शक एवं (c) पास परीक्षा हो सकती है। इन तीनों के अपने-अपने गुण एवं दोष हैं।

(2) विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय—यह पद्धति भी दोपरहित नहीं है।

(3) कार्य-कुशलता माप—इसे Efficiency Rating कहते हैं जो सर्वोत्तम नाम जाता है। इसके लिए तीन प्रकार की पद्धतियाँ अनायी जाती हैं—

(a) उत्पादन रिकॉर्ड (Production Record)—अर्थात् कर्मचारी की कुशलता की नाम जसके कार्य के उत्पादन के द्वारा किया जाता है।

(b) विन्दु-रेखीय दर मापक पद्धति (Graphic Rating Scale System)—इसमें एक नम्र होता है, जिसमें सेवा सम्बन्धी तत्वों का उल्लेख रहता है। उस पर योग्यतामापक अधिकारी निशान लगा देता है।

(c) व्यक्तिगत तालिका पद्धति (Personality Inventory System)—इसमें मानव स्वभाव क्षम्भी विभिन्न तत्वों की व्यापक सूची बना ली जाती है। योग्यतामापक अधिकारी इसमें से कुछ तत्वों को छाँट लेता है, जिससे किसी कर्मचारी का स्वभाव व्यक्त होता है।

कार्यकुशलता माप का सिद्धान्त एक अच्छा सिद्धान्त होते हुए भी दोपरहित नहीं है, चूँकि यह व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) होता है।

(3) योग्यता एवं वरिष्ठता सिद्धान्त (Merit-cum-Seniority Principle)—एक अच्छी दर्शकता प्रणाली के लिए न तो वरीयता का सिद्धान्त ठीक है और न तो योग्यता का सिद्धान्त। इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि दोनों का सम्मिश्रण पदोन्नति के लिए आवश्यक है। इसे हम योग्यता एवं वरीयता का सिद्धान्त कहते हैं अर्थात् किन्हीं दो कर्मचारियों में जो पदोन्नति है लिए इच्छुक हैं, यदि योग्यता समान है, तो वरीयता को मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में पदोन्नति का आधार केवल वरीयता या केवल योग्यता नहीं होना चाहिए और न तो पदोन्नति सिद्धान्तहीन एवं मनमाने ढंग से ही होनी चाहिए।

(IV) खरथ पदोन्नति प्रणाली के लिए ARC के सुझाव

ARC ने पदोन्नति के सम्बन्ध में भारतीय प्रशासन के लिए निम्न मुख्य सुझाव दिये हैं—

(1) पदोन्नति समिति का अध्यक्ष उच्च रत्तर का पदाधिकारी होना चाहिए। कोई एक सदस्य ऐसा होना चाहिए, जिसका सम्बन्ध Departmental Promotion से न हो।

306 | लोक प्रशासन

- (2) प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में Evaluation Report अशोत् योग्यता एवं कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट दे।
- (3) इस प्रकार की रिपोर्ट को CCR न कहकर Performance Report कहा जाए।
- (4) पदोन्नति के लिए Promotion Tests हों तथा परीक्षाओं के आधार पर उम्मीदवारों को A, B, C श्रेणी में रखा जाए।
- (5) प्रथम श्रेणी पदों के लिए 50% पदोन्नति Performance Report के आधार पर तथा 50% Open Competition द्वारा हो।
- (6) द्वितीय श्रेणी पदों के लिए भी परीक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भारत सरकार ने सन् 1977 में पदोन्नति के सम्बन्ध में ARC का प्रतिवेदन मान लिया है, वह प्रशंसनीय कदम है। निःसन्देह पॉल एपल्बी ने और Pay Revision Committee ने भी भारतीय पदोन्नति प्रणाली को दोषपूर्ण पाया था, परन्तु अब ARC की सिफारिश के आधार पर जो पदोन्नति प्रणाली अपनायी जा रही है, वह दोषमुक्त होगी, चूंकि इसमें वरीयता एवं योग्यता दोनों का समन्वय है, जिससे सेवाओं का मनोबल उच्च हो।

(V) Fast Promotion Route Theory

IIPA, New Delhi के निदेशक पी. आर. दूभाषी (P. R. Dubhashi) ने 'A New Civil Service Philosophy' में भारत में बढ़ते हुए लोक कल्याणकारी राज्य के लिए 'Fast Promotion Route Theory' की चर्चा की है जो नौजवान, योग्य एवं साहसी कर्मचारियों को शीघ्र पुरस्कृत करने का प्रतिपादन करती है।

प्राधीनिक संबंध (EMPLOYER-EMPLOYEE RELATIONS)

कानूनी बाब्द के अनुसार 'Public Personnel Administration' का एक विभाग है जो 'Employee Unionism', याकूबी कर्मचारियों के अधीन नियंत्रण संघर्ष आदि परंपरा की विशेष लोक विधान के कर्मचारी संघर्षों के विवरणीय दृष्टि रखता है। कर्मचारी संघर्ष का अधिकार यह है कि वहाँ कर्मचारी संघर्षों द्वारा एक संघर्षों द्वारा रख दिया है। कर्मचारी संघर्ष का अधिकार यह है कि वहाँ कर्मचारी संघर्षों द्वारा एक संघर्षों द्वारा रख दिया है। कर्मचारी संघर्ष का अधिकार यह है कि वहाँ कर्मचारी संघर्षों द्वारा एक संघर्षों द्वारा रख दिया है। कर्मचारी संघर्ष का अधिकार यह है कि वहाँ कर्मचारी संघर्षों द्वारा एक संघर्षों द्वारा रख दिया है। कर्मचारी संघर्ष का अधिकार यह है कि वहाँ कर्मचारी संघर्षों द्वारा एक संघर्षों द्वारा रख दिया है।

कर्मचारी कर्मचारी संघर्ष के दृष्टि विधान को दृष्टि देता है। ऐसे संघर्ष कर्मचारी के दृष्टि में व्यवस्थित एवं उत्तमतार दृष्टि की व्यवस्था करते हैं। ऐसे संघर्ष के दृष्टि में व्यवस्थित एवं उत्तमतार दृष्टि की व्यवस्था करते हैं। ऐसे संघर्ष के दृष्टि में व्यवस्थित एवं उत्तमतार दृष्टि की व्यवस्था करते हैं।

इसे यह दर्शा देता है कि कर्मचारी संघर्ष लोक विधान के दृष्टिकोण से एक ऊपर वाली विधान के अनुसार "Employee relations are a subject of several dimensions."

ए. एम. मार्क्स के अनुसार "The purpose of employee organisations is to gain for the employees fair and adequate pay, reasonable hours of work, safe and suitable working conditions, development of opportunities for advancement, facilities for redress and impartial consideration and review of grievances...."

कर्मचारी संगठन का प्रश्न है। तब जिसीजैसी को कर्मचारीयों की गणतान्त्रिका, लोकसभा विधायिका के पारिषद बोर्ड था कि प्रकार वे यही विधायिका था औ इसके अन्तर्गत विधायिका को कर्मचारीयों को गणतान्त्रिका वा भी गोपनीय मिलता है। इस विवाद का उल्लेख वर्तमान वर्ष रांगड़न के प्रति दाला गया गणतान्त्रिका के प्रति विविध विवरण विवरणों के बाहर आया है।

गणतान्त्रिकों के ऐ रांगड़न का एवनात्मक होता है, यह यह ये बहुत एक विवरण है।

(i) गणतान्त्रिकों के रांगड़नों के प्रति प्रयत्न वा उद्द्योग के ?

(ii) गणतान्त्रिकों वा राष्ट्रीय एवं शासनिक विविधकों के ?

कोई भी कर्मचारी रांग घंटात्मक हो जाता है, यदि वह कंवल अपने विवरण में इसी रुखि रखता है। ऐसी परिस्थिति में उनका प्रयत्न एवं स्वरूप स्वरूप, विवरण में विनाशात्मक होगा।

यदि कर्मचारी रांग राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय व्यापार के अपनी माँगें रखते हैं, तो उनका प्रयत्न एवं स्वरूप रचनात्मक, युक्ति-संगत सर्व राष्ट्रीय व्यापार के अपनी माँगें रखते हैं।

19वीं शताब्दी के अन्त से ही कर्मचारी संगठन लोकप्रिय हुए। चूंकि कर्मचारीयों को अन्त परिस्थितियों में वे काफी सुधार लाये। लोकतान्त्रिक सरकारों में कर्मचारी संगठन व्यापक पदाधिकारियों को सरकारी सत्ता का दुरुपयोग करने से भी रोकते हैं।

एल. डी. हाइट के अनुसार सरकारी संगठन को किस सीना वक्त तंडुकः छोड़ association दिया जाए, यह एक टेढ़ा प्रश्न है जिस पर सावधानी से विचार करना होता।

व्यापार संघ बनाम सर्विस एसोसिएशन—व्यापार संघ एवं सरकारी कर्मचारी व्यापार में फर्क है। सरकारी कर्मचारी यूनियन का जन्म व्यापार संघ के जन्म के बाद हुआ है। इसके चूंकि सरकार में अनुशासन की आवश्यकता ज्यादा है इसलिए कुछ ऐसी स्तरें हैं, जैसे—पुलिस एवं पुलिस, जिनमें संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है, परन्तु जन् 1979 जन्मकर्त्ता की कमजोरी सारे देश में पुलिस कर्मचारियों ने संघ बनाया एवं उन्होंने वहीं पहनकर हड्डी की। इसके फलस्वरूप गृहमन्त्री एच. एम. पटेल ने पुलिस कर्मचारियों के लिए चक्कर देने उच्चतर भत्ता एवं उच्चतर दशाओं की घोषणा की।

उर इस बात का है कि पुलिस के बाद मिलिट्री में भी इस प्रकार को हड्डी (डेंड्रेस) हो सकती है। विवाद का विषय यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को इस बात को स्वतंत्र मिलनी चाहिए कि अपने सेवा शर्तों से सम्बन्धित गमलों के विषय में वे प्रदर्शन (demands) में भाग ले सके अथवा छड़ताल (strike) का सहारा ले सके?

यद्यपि रारकारी कर्मचारियों को जब कभी व्यापा वा शिकायत हो, तब वे सह उन्हें राफतों में ?

यद्यपि यह रारकारी कर्मचारी रांगड़न समूह वा राजस्वीति (group politics) से निपटेंशित नहीं होता ? यदि निपटेंशित होता है, तो वह political neutrality वा ज्ञान वाले नहीं हैं ?

वे रारे प्रश्न वा फैलाव भारत में, पर्ल्यु अमेरिका एवं इंग्लैण्ड में भूमि ले रहे हैं।

अमेरिका में Federal Employees को अपना संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु अमेरिका सरकारी सेवा के कार्यालयों को उद्दाल या अधिकार नहीं है। इस 1955 में प्रकाशित कानून के द्वारा यह समझा गया कि ऐसा कोई भी चाहिए शक्ति अधिकार में अथवा उसे नियमी अधिकारण में कोई नियमित वाली वर राखता हो तो वही भी नियमी की उद्दाल में भाग ले सकता है जो ऐसी राम्रता या रप्रेस द्वारा दिया उद्दाल द्वारा अपना अधिकार पायता हो। इस अपना जो छल्लांग दरवा एक यांत्रिक अपराध है, जिसका दण्ड जुर्माना और कारायाद है। अमेरिका में यहां पाठ्य एवं 1847 के उद्दाल में यांग देना और-जानूरी या तथा स्वाक्षर दण्ड वा-रोता से निलंबन (discharge from service)। इन् 1955 में यह जिया और जी कहा कर दिया गया।

ਸੁਣਿਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾਲ ਪਰ ਰੋਕ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਨਾ ਯਹਿ Civil Servant ਦੱਸਤਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਕੇ ਵਿਖ੍ਯਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਕ ਕਾਰਧਿਤਾਹੀ ਕੀ ਜਾ ਰਾਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਕਿ ਇਸਕਾ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਨੇ ਕਾਰਦਿਆਂ ਪਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰਨੇ ਰੋਂ ਇੱਕਾਰ ਕਿਯਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਟਾਣਡ ਮੈਂ—(i) ਭਰ੍ਤਾਨਾ (Reprimand), (ii) ਪੇਂਸ਼ਨ (Pension), (iii) ਪਦਚੁਤ (Dismissal) ਤਕ ਕਿਯਾ ਜਾ ਰਾਕਤਾ ਹੈ।

आस्ट्रेलिया, जापान तथा सिवटजारलैण्ड में सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल में भाग लेना गैर-कानूनी है।

भारत में रिथेटि—भारत में सरकारी, कर्मचारी अपना निजी संघ बना सकते हैं, परन्तु ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। सरकारी कर्मचारी यदि हड्डताल का सहारा लेते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ता है।

भारत में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुछ महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं—

- (i) अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ,
 - (ii) अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ,
 - (iii) डाक व तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ एवं
 - (iv) केन्द्रीय सचिवालय तथा सम्बन्धित कार्यालयों के कर्मचारियों का संघ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मुख्यतः तीन वर्गों में वॉटे जाते हैं। इन तीनों वर्गों के अनशासन एवं सेवा की शर्तें एवं नियम अलग-अलग हैं। ये तीन मुख्य वर्ग हैं—

(1) गैर-औद्योगिक (Non-Industrial) कर्मचारी वर्ग, जिसमें कि डाक व तार तथा नागरिक उड़ायन विभागों में काम करने वाले कर्मचारी, औद्योगिक संस्थानों में 500 रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले राजपत्रित (Gazetted) कर्मचारी सम्मिलित हैं।

(2) औद्योगिक कर्मचारी वर्ग (Industrial staff) रेलवे के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को छोड़कर।

(3) औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक रेल कर्मचारी।

प्रथम वर्ग में जो कर्मचारी वर्ग हैं, उन पर Central Civil Service Conduct Rules, 1955 के उपबन्ध लागू होते हैं। इन उपबन्धों के द्वारा कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी शर्तों से सामन्यता किसी भी मामले के बारे में न तो किसी प्रदर्शन में भाग ले सकता है, न किसी प्रकार की हड्डियाल कर सकता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघ का ही सदस्य बन सकता है। सरकार के विरुद्ध न रेडियो में, न प्रेस में, न सार्वजनिक वक्तव्य में वह कोई विचार प्रकट कर

१०८ अप्रैल १९५६

प्राप्ति देव अस्मिन् देव, प्रदेवं स्वर्णं ग्रन्थं लुभे इति विद्या ।

1920-1921

१०८ विश्वामित्र नारद विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु

General Pay Committee & Employee Association to Form a Federation

(ii) यह एक संस्कृत के विद्यार्थी के अनुवाद में लिखा गया (Original text, Sanskrit) है। इसमें विभिन्न वर्णों के बीच अलगाव दर्शाया गया है। यह एक विशेष विद्यार्थी के अनुवाद में लिखा गया है जो अपने विभिन्न वर्णों के बीच अलगाव दर्शाया गया है।

(4) अनेक वर्षों के विवरणों के लिए चुनौती विवरणों का उदाहरण हो सकता है।

ARC के सुझाव-ARC के अनुकार, बाहरीद दिनांक ने हृष्टदत्त का चर्चा वर्तमान कर दिया है। यात्रीय व्यवस्था को सहज ने इस कारण विशेष स्थिति होती है कि यह उपलब्ध का लाभ है, जिसके स्विट एवं समान कार्य तंत्रज्ञान पर सहज का कल्पना इस तरीके से होता है। ARC के अनुकार सरकारी कर्मचारी के कार्य एवं आज्ञान का चर्चा से सीधा प्रभाव पड़ता है। अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण यह सभा एवं सन्दर्भ ग्राहक वर्तमान में यह तरीके है कि यदि उसकी विकायत है, तो उनका सन्दर्भ विचार-विनियोग के उपर्युक्त

द्वारा ही होना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हड़ताल का मार्ग उसके लिए खुला हुआ नहीं है।

निष्कर्ष—निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों को हड़ताल का अधिकार देने के पक्ष में न ARC है न Central Pay Commission और न प्रजातान्त्रिक सरकारें, चाहे वह भारत हो या इंग्लैण्ड या अमेरिका। लोक कर्मचारी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब हड़ताल का सहारा लेते हैं, तो लोक प्रशासन एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ने उचित प्रतिबन्धों के अधीन संघ बनाने का अधिकार दिया अर्थात् right to form association सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है, परन्तु भारत में सैनिक एवं पुलिस कर्मचारियों को संघ बनाने का अधिकार नहीं है।

भारत में right to affiliate अर्थात् सम्बद्ध होने का अधिकार भी कर्मचारियों को प्राप्त है, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध भी हैं।

Right to political activity के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को केवल Right to Vote है, परन्तु इन्हें राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की खतन्त्रता नहीं है। Political Neutrality of the Civil Servants. सरकारी कर्मचारियों को निर्णक्ष बनाता है। यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की उपज है।

इस प्रकार हमने यह देखा कि लोक सेवकों के कुछ अधिकार होते हैं, जिन्हें Political Legal Rights कहते हैं और इनमें अधिकार हैं—राजनीतिक गतिविधि, संघ बनाने, सम्बद्ध होने एवं हड़ताल करने से सम्बन्धित अधिकार।

प्रशासकीय संगठन के सन्दर्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि सरकारी कर्मचारियों का संगठन भी मनुष्य की सामाजिकता का प्रतीक है। वर्तमान राजनीति का स्वरूप Group Politics है। इसलिए इन संघों का महत्व भी अपने आप बढ़ जाता है। ये संघ Interest Group एवं Pressure Group अर्थात् हितकारी समूह एवं प्रभावकारी समूह के रूप में कार्य करते हैं। इसका लक्ष्य होता है, अपने सदर्श्यों के हितों की सुरक्षा। ये नीति-निर्धारण को प्रभावित करते हैं।

जैसा अल्मण्ड या पवेल या रिग्स या बार्बर का कहना है कि राजनीति एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा सामाजिक मान्यताएँ शक्तिपूर्ण रूप से निर्धारित होती हैं। यह कार्य निर्णयों के द्वारा होता है, निर्णय कार्य शृंखला पर आधारित होते हैं तथा प्रत्येक कार्य एक-दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं। राजनीति में समूह संघर्ष है। वे समूह (Group) शक्ति संरचना (Structure of Power) हैं।

कर्मचारी संघ ऐसे ही समूह हैं जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, मतभेद हो सकता है कि इनका रहना उचित है अथवा अनुचित, परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि कर्मचारी संघ हैं और रहेंगे तथा आने वाले दिनों में ये और अधिक सुसंगठित होंगे। इन संघों की सफलता कार्य पद्धति तथा संगठन की व्यापकता में मुख्य रूप से Governmental Structure, Activities and Attitudes का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

इंग्लैण्ड में प्रचलित हाइटले काउन्सिल की व्यवस्था भारत में भी की गयी है, जिनका नाम स्टाफ काउन्सिल है। सरकारी कर्मचारी संगठन के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 20 जून,

ରୁହିଗ ନାହିଁ କାହିଁଥାରି ନାହିଁ Railway Service Conditions Rules, 1956, କେ ଅଧିକାରୀ ମାତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କାହିଁଥାରି ନାହିଁ ଅପରାଧକାରୀ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରି କୌ ପରାମର୍ଶ କଲା ଦେଖାଇବା କାହିଁଥାରି ନାହିଁ । ଆଶା କରିବାକୁ କାହିଁଥାରି ନାହିଁ କାହିଁଥାରି ନାହିଁ । କାହିଁଥାରି ନାହିଁ କାହିଁଥାରି ନାହିଁ ।

जनता आवकाश ने रोप 1970 में बैलवे कर्मचारियों की दृष्टिकोण परिवर्तन की, जो उन्हें लिया है, इससे देश में आर्थिक रोकदम बढ़ गया है।

Service Association की पायिता Executive Instruction द्वारा की गई है, जो सर्वेर्स की पायिता Ministry of Labour के द्वारा किया जाता है।

Central Pay Commission ने Employees Association के द्वारा देखी गई सिविल सर्विस विवादों पर अपनी विचारणा की है।

(1) मानवता प्राप्त संघ की सदस्यता को अनुशासनिक अधिकार (Disciplinary authority) नहीं जाना चाहिए, परन्तु यहि का संघ ऐसी कार्यदातियों में भाग लेकर है, जिनका उल्लंघन पृथक् शरणगती कार्यवारियों द्वारा किया जाता है और उसे आचार नियमों (Conducting rules) द्वारा उपरक्ष का उल्लंघन माना जाता है, तो अनुशासनात्मक कार्यदाता के अधिकार वह संघनित सरकारी कार्यवारियों से उनकी सहायता ढोड़ने की सोच की जा सकते हैं।

(2) कार्यवारी संघों की मान्यता के नियमों के निर्माण तथा नावद्वा प्रदान करने के लिए उदार भावना से किया जाना चाहिए।

(3) रारकारी कर्मचारियों को हड्डताल का आश्रय नहीं लेना चाहिए बल्कि इसके पीछे प्रभावी ही देनी चाहिए, परन्तु कानून में संशोधन किये जिता ही यह परिवर्तन लागवाला है चाहिए यि; यारकारी स्थग्य ही हड्डतालों एवं प्रदर्शनों के प्रयोग का नियन्त्रण कर दें और इसको यह परिपाटी (Convention) डालनी चाहिए कि कुछ नहत्याहूँ नज़रों के उच्चान्वय ऐसी भी विवाद (Dispute) को जिनको यातर्यात के द्वारा न सुलझाया जा सके, यह नियन्त्रण (Arbitration) के सम्पूर्द कर दिये जाएं।

(4) श्रमिक संघों की क्रियाओं के लिए जननियत सूचिकार्जों को व्यवस्था की जरूरत है।

ARC के सुझाव—ARC के अनुसार, 'शासकीय दिनांगों' में हटालों का इन्हें नहीं होता है। शासकीय अधिकारी की समाज में इत कारण दिशेष स्थिति होती है तो वह न्याय का अंग है, जिसके स्पष्ट एवं सक्षम कार्य संचालन पर सन्ताल का कल्पन है। नहीं कोई उद्देश्य निभार होता है।' ARC के अनुसार राजकारी कर्मचारी के कार्य एवं खाद्यानुसार के बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है। अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण वह सत्ता एवं जन्मन दोनों दृष्टियों से यह सही है कि यदि उत्तरी शिकायतें हैं, तो उनका समाधान दिचार-दिनरां के उद्देश्य से

जाने द्वारा होना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हड्डताल का मार्ग उसके लिए खुला हुआ नहीं है।

विधायक-नियमित गैंग या गठ राजतो हैं कि लोक सेवकों को हड्डताल का अधिकार देने के बांध में न ARCC है न Central Pay Commission और न प्रजातान्त्रिक सरकारें, चाहे वह भारत ही ना हुआ था अग्रिम। लोक कर्मचारी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब हड्डताल का राहिरा होते हैं, तो लोक प्रशासन एवं राष्ट्र की आधिकारिक रिधति पर इसका बुरा असर पड़ता है।

भारतीय संघितान के अनुच्छेद 19(1) ने उचित प्रतिवन्धों के अधीन संघ बनाने का अधिकार दिया अर्थात् right to form association सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है, परन्तु भारत में शैक्षिक एवं पुलिस कर्मचारियों को संघ बनाने का अधिकार नहीं है।

भारत में right to affiliate अर्थात् राष्ट्रद्वारा होने का अधिकार भी कर्मचारियों को प्राप्त है, परन्तु इस राष्ट्रन्ध में कुछ प्रतिवन्ध भी हैं।

Right to political activity के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को केवल Right to Vote है, परन्तु इन्हें राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की स्वतन्त्रता नहीं है। Political Neutrality of the Civil Servants. सरकारी कर्मचारियों को निर्देश बनाता है। यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की उपज है।

इस प्रकार हमने यह देखा कि लोक सेवकों के कुछ अधिकार होते हैं, जिन्हें Political Legal Rights कहते हैं और इनमें अधिकार हैं—राजनीतिक गतिविधि, संघ बनाने, सम्बद्ध होने एवं हड्डताल करने से रामन्धित अधिकार।

प्रशासकीय संगठन के रान्दर्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि सरकारी कर्मचारियों का रांगठन भी मनुष्य की सामाजिकता का प्रतीक है। वर्तमान राजनीति का स्वरूप Group Politics है। इसलिए इन संघों का महत्व भी अपने आप बढ़ जाता है। ये संघ Interest Group एवं Pressure Group अर्थात् हितकारी समूह एवं प्रभावकारी समूह के रूप में कार्य करते हैं। इसका लक्ष्य होता है, अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा। ये नीति-निर्धारण को प्रभावित करते हैं।

जैसा अल्पण्ड या पवेल या रिग्स या वार्वर का कहना है कि राजनीति एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा सामाजिक मान्यताएँ शक्तिपूर्ण रूप से निर्धारित होती हैं। यह कार्य निर्णयों के द्वारा होता है, निर्णय कार्य शृंखला पर आधारित होते हैं तथा प्रत्येक कार्य एक-दूसरे से रामन्धित रहते हैं। राजनीति में समूह संघर्ष है। ये समूह (Group) शक्ति संरचना (Structure of Power) हैं।

कर्मचारी संघ ऐसे ही रामूह हैं जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, मतभेद हो सकता है कि इनका रहना उचित है अथवा अनुचित, परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि कर्मचारी गंप हैं और रहेंगे तथा आगे बाले दिनों में ये और अधिक सुरांगठित होंगे। इन संघों की सफलता कार्य पद्धति तथा संगठन की व्यापकता में मुख्य रूप से Governmental Structure, Activities and Attitudes का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

इंलैण्ड में प्रथमिता छाइटले काउन्सिल की व्यवस्था भारत में भी की गयी है, जिनका नाम एएफ काउन्सिल है। सरकारी कर्मचारी संगठन के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 20 जून,

पर कारवाइ नहीं करता, भारताय ।

लोक सेवकों में अनुशासन (DISCIPLINE IN CIVIL SERVANTS)

विलियम जी. टोरपे ने अनुशासन के सम्बन्ध में यह लिखा है कि “Disciplinary action refers to administrative steps taken to correct employee's misbehaviour related to job-performance.” कथन से यह स्पष्ट है कि लोक प्रशासन लाने के लिए लोक सेवकों में अनुशासन होना आवश्यक है। यदि लोक सेवक अनुचित कार्य करते हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होना भी आवश्यक है। जैसा टोरपे का कथन है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध लोक सेवक के दुर्व्यवहारों को ठीक करने से है। हैमैन ने अनुशासन का सम्बन्ध निदेशन के प्रबन्धात्मक कार्यों से माना है।

प्रो. हैमैन के अनुसार, “अनुशासन एक व्यवस्थित व्यवहार है।” इसे वे ‘orderliness’ कहते हैं। उन्होंने लिखा है, “यह एक उद्यम की शर्त है, जिसमें व्यवस्थापन है और जिसमें उद्यम के सदस्य उन स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार व्यवहार करते हैं जो संगठन की आवश्यकताओं के

आधार पर निश्चित किये जाते हैं।” इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन में लोक सेवकों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिए आवश्यक है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न रूप होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

(1) धमकी देना—कर्मचारी यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उच्च अधिकारी उन्हें धमकी देते हैं, जिसे ‘warning’ कहा जाता है। यह लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी।

(2) कार्यों में परिवर्तन लाना—अनुशासन भंग करने वाले कर्मचारी को ऐसे कार्य में लगा दिया जाता है जो कम महत्व का होता है तथा उसके पसन्द का नहीं होता। यह भी दण्ड देने का एक तरीका है।

(3) कुशलता का मूल्यांकन—कर्मचारी की कार्यकुशलता का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है कि उसकी पदोन्नति रुक जाती है।

(4) सेवा अभिलेख में उल्लेख—कर्मचारियों का जो service record होता है, उसमें कर्तव्यों का उल्लंघन अंकित कर दिया जाता है। इससे भी उसकी पदोन्नति रुक सकती है।

(5) आर्थिक दण्ड देना—सरकार कर्मचारियों पर जुर्माना कर सकती है। आर्थिक दण्ड से कर्मचारी के सम्मान को धक्का लगता है और वह अनुशासित होता है। यह पुलिस एवं सेना में ज्यादा प्रचलित है।

(6) कुछ समय के लिए पद-विमुक्ति—अर्थात् उसे कुछ समय के लिए सेवा से विमुक्त रखा जाता है, जब तक कि अनुशासन भंग आरोप पर निर्णय न हो जाए। इसे suspension कहते हैं।

(7) पदावनति—यह तरीका सेवा से विमुक्त करने के तरीके से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसके अनुसार किसी कर्मचारी की निम्न स्तर के पद पर पदावनति कर दी जाती है। उसका सम्मान तथा वेतन दोनों कम हो जाते हैं। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है।

(8) पद-विमुक्ति—यह सबसे गम्भीर तरीका है। इसे Dismissal कहते हैं। ऐसा करने से कर्मचारी न केवल पद ने अलग हो जाता है, बल्कि उसे अपनी आय, सम्मान, पेन्शन एवं विशेषाधिकार से भी वंचित होना पड़ता है।

(9) फौजदारी कार्यवाही—गम्भीर अपराध के विषय में कर्मचारी के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही भी की जा सकती है।

संक्षेप में, जैसा कि एल. डी. हाइट ने लिखा है, “Some well-established types of penalty include, informal notice and warning, reprimental suspension, demotion, dismissal and judicial prosencution.”

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाला अधिकारी—लोक प्रशासन की एक समस्या यह भी रही है, “who should be empowered to take discipline action.” इस सम्बन्ध में लगभग सभी इस मत से सहमत हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का उसे ही अधिकार होना चाहिए जो नियुक्ति करता है। जिस कर्मचारी को जो अधिकारी नियुक्त करे, उसे ही दण्ड देने का अधिकार होना चाहिए। एल. डी. हाइट के अनुसार यह सिद्धान्त ‘policy of hire and fire’ से सम्बन्धित है। साधारणतया विभागाध्यक्ष शासनात्मक कार्यवाही करने वाला अधिकारी होता है।

परन्तु कुछ लोग यह भी कहते हैं कि disciplinary action लेने का अधिकार एक निष्पक्ष निकाय को होना चाहिए न कि किसी व्यक्ति को। जैसे भारत में संघीय लोक सेवा आयोग कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित होता है। भारतीय संविधान का Art. 31। में यह स्पष्ट है कि UPSC की सलाह पर ही राष्ट्रीय अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर disciplinary action ले सकता है। राज्य सेवा के कर्मचारियों को राज्यपाल दण्डित कर सकता है। परन्तु यहाँ भी PSC की सलाह लेनी पड़ती है। यह भी सही है कि राज्यपालों के विरुद्ध कर्मचारी राष्ट्रपति के घाँ अपील कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती।

भारत में, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श के बाद सन् 1955 में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील सम्बन्धी) नियम का निर्माण किया है। इसके अनुसार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को अपने कार्यों के प्रति सज्ज बनाये रखने के लिए disciplinary action आवश्यक है। इस क्षेत्र में एल. डी. हाइट के अनुसार Civil Service Legislation का महत्वपूर्ण स्थान है।

लोक सेवकों में मनोबल (MORALE IN CIVIL SERVANTS)

मनोबल किसी भी प्रशासकीय संगठन का वह आधार स्तम्भ है, जिसके सहारे उसकी समस्त क्रियाएँ संचालित होती हैं। यह प्रशासकीय व्यवहार का प्रेरक भी है और उसका संचालक भी है।

महत्व—एल. डी. हाइट ने लिखा है, “A wholesome morale is an effective administration. It adds the force and energy which make for achievement.” इस प्रकार मनोबल को किसी भी संगठन की जीवन शक्ति कहा जा सकता है। इसके बिना समस्त प्रशासकीय क्रियाएँ निर्जीव रूप में संचालित होती रहती हैं। संगठन को निर्देशित, पंथ-प्रदर्शित एवं पर्यवेक्षित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जो कदम उठाये जाते हैं, उनका संगठन के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संगठन, मनोबल के आधार पर ही, आदेश की एकता प्राप्त कर सकता है।

परिभाषा—मनोबल की परिभाषा हाइट ने सही रूप में इस प्रकार दी है, “Morale is an inner possession of an individual or a group.”

वार्तविक रूप में “मनोबल व्यक्तियों के समूह के एक लक्ष्य की खोज में धैर्य के साथ एवं लगातार एक साथ चलने की क्षमता है।” इस प्रकार की परिभाषा के अनुसार मनोबल की कुछ विशेषताएँ हैं—

- (1) इसमें व्यक्ति एक समूह के साथ मिलकर कार्य करता है।
- (2) उसका कार्य धैर्यपूर्ण होता है।
- (3) मोरले से प्रभावित व्यवहार का रूप एक निर्विचिन्न होता है।
- (4) समस्त समूह एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाता है।
- (5) सदस्यों के नेता के नेतृत्व में और एक-दूसरे के प्रति विश्वास होता है।

हुए प्रकार मनोवेदन का राक्षस गतिविधानिक गुणों से है। जोरा ली, गृहों के अनुचार, अप्रवास कुछ गतिविधानिक गुणों का शोध है; जोरा-रामरा, फैरल, विश्वास, विश्वास आदि।"

एल. ली. छाइट के अनुसार, "A wholesome morale stimulated loyalty, co-operation and teamwork all of which are so essential for the smooth co-ordinate of money individuals in a single organisation."

प्रत्येक संगठन में, चाहे उसका घटना भी लाप्त एवं रखरख नहीं न थों, मनोवेदन की गतिविधियां छोड़ी हैं।

जोरा कि थोट्टर मनोर्जि का विवरण है कि "मनोवेदन एक प्रकार से रथांत्रित प्रेरणा है जो व्यक्तिताओं के दिल और दिमाग में बनती है।" मनोर्जि और छाइट के अनुसार प्रारंभ में मनोवेदन विनियक प्रशारण में प्रयुक्त मुझा और छरारो विश्वायुद जीतने में आरामी हुई।

एल. ली. छाइट के अनुसार, प्रथम विश्वयुद के दायरे से रैनिक प्रशारण में और रन् 1920 में लोक प्रशारण में मनोवेदन की गति एवं प्रयोग आराम हुआ। यदि रैनिक में मनोवेदन न थो, तो लक्षाई जीती गई जा राखती। उसी प्रकार संगठन में मनोवेदन न थो, तो संगठन का कार्य फल छी नहीं राखता। ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन को विश्वारा था कि युद्ध में 75 प्रतिशत विजय और पराजय मनोवेदन हासा छी गई जा राखती है। आवाहारिक और प्रशारानिक संगठनों में भी मनोवेदन यह केंद्र-विन्दु है, जिससे प्रशारण की रागी रेखाएँ प्ररारित की जाती हैं।

परिणाम (Consequences of Morale)—उच्च मनोवेदन का परिणाम किसी भी संगठन के लिए लाभप्रद होता है। ये परिणाम पाँच हैं—

(1) कर्मचारी अपने साथियों का पालन एवं जाहिल कार्य भी प्रवरद्धता से करते हैं। मनोवेदन नहीं है या कम है, तो कर्मचारी छर काम को वाधा गानते हैं।

(2) संगठन में मनोवेदन उच्च स्तर के कर्मचारियों गें राहयोग की भावना और team-work का प्रसार करता है।

(3) संगठन में मनोवेदन के कारण कर्मचारी अपने संगठन के प्रति एक गौरव की भावना रखता है और संगठन के लक्ष्यों को अपना लक्ष्य मानकर घलता है।

(4) उच्च मनोवेदन के फलस्वरूप संगठन में कर्मचारियों की अनुपरिधि, छड़ताल या घेराव आदि बहुत कम होते हैं।

(5) संगठन में कर्मचारियों की शिकायतें भी कम होती हैं और ये हिंसात्मक प्रदर्शनों या काम रोको या work to rule या pendown strike आदि की ओर उन्मुख नहीं होते।

इस प्रकार मनोवेदन के परिणाम किसी भी संगठन के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि यह संगठन में कार्य-कुशलतात्मक है और सदस्यों के मानसिक, शारीरिक एवं भावात्मक र्वारथ्य की वृद्धि करता है।

अच्छे मनोवेदन के निर्माण के तत्व

अच्छे मनोवेदन के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण हैं—

(1) संगठन के प्रयोजन एवं उद्देश्यों का ज्ञान तथा उनके प्रति कर्मचारियों में सहानुभूति तथा विश्वास।

(2) एक साथ कार्य करने की भावना, विश्वास तथा श्रद्धा।

(3) प्रशासकीय कर्मचारियों में कार्य के प्रति विश्वास।

(4) उच्च अधिकारियों की सत्यनिष्ठा एवं इरादों पर विश्वास। यदि उच्च अधिकारियों की संख्या में पक्षपात एवं भष्टाचार का सन्देह होता है, तो कर्मचारियों का मनोबल नीचे गिरता है।

(5) कुशल नेतृत्व—नेता को कर्मचारियों का दोस्त, दार्शनिक और निर्देशक यन्ना पड़ेगा और उस रूप में कार्य करना पड़ेगा। इसमें मनोबल ऊँचा उठता है।

(6) राष्ट्र तथा शासन पद्धति के प्रति लगन, निष्ठा और भक्ति।

(7) कर्मचारियों के सदर्श्य और प्रबन्ध पदाधिकारियों के बीच सहयोग। इसका विकास इंग्लैण्ड में काफी अच्छी तरह हुआ, हाइटले काउन्सिल के द्वारा। भारत में भी इसे अपनाया गया है। मालिक और कर्मचारी के बीच में संघर्ष को मिटाने के लिए हाइटले काउन्सिल जिसमें दोनों पक्ष के प्रतिनिधि बैठकर आपस में सहयोग करते हैं, बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है।

(8) काम की अवधि और परिस्थितियाँ। मनोबल को ऊँचा रखने के लिए यह आवश्यक है कि काम करने की परिस्थिति सन्तोषजनक हो। यह सन्तोष तभी हो सकता है, जब अच्छा वेतन दिया जाए, नौकरी सुरक्षित हो, पदोन्नति का समुचित अवसर हो, छुट्टी की सुविधा हो एवं पद-निवृत्ति का सन्तोषजनक ढंग हो।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अच्छा मनोबल बहुत-सी बातों पर निर्भर करता है और उसके निर्माण के लिए अनेकों तत्त्व हैं, जिनका लोक प्रशासन के क्षेत्र का बड़ा महत्व है। एक स्वरूप मनोबल निष्ठा, सहकारिता एवं श्रद्धा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह कथन सत्य है, “Morale is both an index of a sound employment situation and a positive work.”

अपने उच्च मनोबल के कारण ही सन् 1982 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री ए. आर. अन्तुले ने जब भष्टाचार के आरोपों के बाद भी त्याग-पत्र नहीं दिया, तो न्यायपालिका के निर्णय के द्वारा उन्हें हटाना पड़ा। महाराष्ट्र प्रशासन पर अन्तुले काण्ड ने काफी असर डाला और उसका मनोबल काफी नीचे गिरा। मई-जून, 1983 में विहार में इधर हाल ही में घुर्चिंचित वॉयी हत्याकाण्ड ने विहार के प्रशासन का, खासकर पटना जिला पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराया है, क्योंकि कथित अभियुक्त गिरफ्तार न हो सके, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण।

तथ्य यह है कि कुशल एवं स्वच्छ राजनीतिक नेतृत्व प्रशासन का मनोबल उच्च रखने में काफी सहायक होता है। इसकी भारत में कमी है।